Impact Factor : 0.4521 (UIF)
ISSN:- 2393-8900

Research Article

खोती निर्मुलन में. डॉ. बाबासाहेब की भूमिका

प्रमोद एस. मेश्राम

सहाय्यक प्राध्यापक, श्री. मनोहर हरि खापणे कॉलेज, पाचल, ता. राजापूर, जि. रत्नागिरी.

प्रस्तावना :

भारत के ग्रामीण अंचल पर ब्रिटिश शासन का बहुत दूरगामी दुष्प्रभाव पडा। नवीन ब्रिटिश प्रशासनीक व्यवस्था के अंतर्गत, पुरानी कृषिजन्य व्यवस्था धराशायी हो गयी। नवीन व्यवस्था ने नवीनतम सामाजिक वर्गो का उदय हुआ था। जिसने किसानों को जमींदारों, साहुकारों, लगान वसूल करनेवाले गुमास्तों या कलेक्टरों एवं दूसरों का खून चूसनेवाले परोपजीवी बिचौलियों के कठोर शिकंजे में जखड दिया था। ब्रिटिश शासन की स्थापना के कुछ दशकों के भीतर ही भारतीय कृषक वर्ग को विदेशी शासकों एवं उनके एजंटोव्दारा ही नही, बल्कि देशी शोषणकर्ताओं और नगरीय पूँजीपतियों क शोषण और उत्पीडन का शिकार होना पडा। शोषित एवं उत्पीडीत किसानोंव्दारा प्रारंभ किए गए विरोंधो, व्रिदोहो और आन्दोलनो को मुख्यतया लगान वृध्दी, बेदखली, साहुकारों की सूदखोटी और अग्रेंज बागान मालिंको के उत्पीडन एवं शोषण के विरूध्द चलाया गया था। यह कृषकविद्रोही एवं आंदोलन मुख्यतया जमिंनदार-विरोधी, साहूकार-विरोधी और विदेशी सत्ता विरोधी रहे थे। कृषक विद्रोही एवं आंदोलन वर्ग चेतना और आंदोलनो का स्वरूप ग्रहण नही कर सके, क्योंकी इन आंदोलन के उदय स्थानीय समस्याओं को लेकर हुआ था, यह स्थानिक रहे एवं व इसका कोई नियमित संगठण था और न ही कोई नेतृत्व।

कार्य करने की वास्तविक स्वतंत्रता केवल वही पर होती है, जहाँ शोषण का समूल नाश कर कर दिया गया है, 'जहाँ एक वर्ग व्दारा दुसरे वर्ग पर अत्याचार नही किया जाता, जहाँ बेरोजगारी नही है, जहाँ गरीबी नही है, जहाँ किसी व्यक्ती को अपने धंदे के साथ से निकल जाने का भय नही है। यद्यपी हिन्दू कानून कई तरह से बहुत त्रुटीपूर्ण हे, तथापि उत्तराधिकार का हिंन्दू कानून लोगों का बहुत बडा रक्षक रहा है। हिंदू धर्मव्दारा स्थापित सामाजिक और धार्मिक एक छात्रवादने लोगों के एक बहुत बडे वर्ग को निरंतर दासता में जखडा है।'[१] आज भी भारत का इतिहास हमे यह बताता है की, 'चार्तुवर्ण्य व्यवस्था मानव समाज को असाध्य नही, हानिकारक भी बनाया है। कुछ इने-गिने मनुष्यों के प्रभुत्व के लिए सर्वहारा बनाया है। पंगु बनाया है।'[२] वर्णवाद और जातीवाद ने इस देश में मानवी सदाचार का भी संहार किया है। जो अत्यंत खेदजनक है। प्राचीन काल से हमे यह दिखाई पडता है की, दासता वर्णों के अवरोही क्रम में दिखाई देती है। आरोही क्रम में नही।

हमारा देश कृषिप्रधान देश है। और हमारी जमीन उसर हो चूकी है। हम हजारों सालों से इस पर खेती कर रहे है लेकीन कितनाभी प्रयास कर ले हम अपनी जमीन के स्थर को उत्पादकता के उच्चतम चोटी पर नही ले जा सके है। इसके कई कारण है। मद्रास प्रेसिडेन्सी में तीन एकड जमीन पर एक हल है। बम्बई प्रेसिडेन्सी में छए एकड के लिए एक हल है। पंजाब में दो एकड के लिए एक हल है। किसान कर्ज मे पैदा होकर कर्ज मे ही रहता है और वही पर खुदकुशी करता दिखाई पडता है। भारतीय अर्थव्यवस्था खेती पर निर्भर करती है। इसीलिए खेती से होनेवाले उत्पाद के बारे में समय-समय बदलाव दिखाई देता है। इसिलिए खेती की यह व्यवस्था के बारे में कृषिकारों, किसानों को सतर्क रहना पडेगा।

मध्यकालीन भारत के समय में हम जरा मूडकर देखते है तो हमे यह प्रयास होता है की, 'अंग्रेजो का प्रवेश भारत में किस प्रकार हुआ और उनकी शोषक नितीयों ने आगे चलकर किसानो का किस प्रकार शोषण किया।' भारत में इ.स.१६०० में ब्रिटिश ईस्ट

Impact Factor : 0.4521 (UIF)
ISSN:- 2393-8900

इंडीया कंपनी, इ.स.१६०२ में डच ईस्ट इंडीया कंपनी और इ.स.१६६४ में फ्रांसीसी ईस्ट इंडीया कंपनी बनी। और इस काल से भारत के लोगों का शोषण आरंभ बडे पैमाने में होता दिखाई देता है। किसानों का शोषण आज भी बडे पैमाने पे होता दिखाई देता है। अंग्रेजो की दमनकारी नितीयाँ उनके साथ शत्रुओं जैसा व्यवहार करने लगी, उन्हे गुलाम की तरह जीवनयापन करने के लिए बाध्य किया जाने लगा। 'इसलिए संपूर्ण भारत वर्ष का किसान अंग्रेजोंका, उनके उत्पीडन का शिकार हो गया। इसी संबंध में रजनी पाम दत्त ने लिखा है की, १७९३ में लॉर्ड कॉर्न वालीस ने ३,४०,००० पौंड की मालगुजारी बांधी थी। भारतीय किसानों का अंग्रेजोंने इतना शोषण किया था की, गरीब और गरीबी दोनों उनके भाग्य से जुड गये। किसान इन्सान होते हुए भी उनसे पशुओं की तरह व्यवहार किया जाता था। भारत में जमीनदारों, साहुकारों, तालुकेदारों और महाजनों के अंग्रेजोंको खुष करने के लिए किसानों का शोषण किया।'[३]

किसानों का और उनके आंदोलनों का निश्चित काल बताना जोखीम भरा है। पर इतना तो सत्य है की, किसानों ने शेकडो वर्ष तक जमीनदारो, साहुकारों, महाजनों और सामन्तों के अमानवीय अत्याचार रहे है। आरंभिक किसान आंदोलन असंघटीत थे, पर समय के साथ किसानों की चेतना ने उन्हे संघटित होकर आंदोलन करने की प्रेरणा दि थी। निश्चित तौर से यह कहना पडेगा की, दमनकारी व्यवस्था किसानों को आंदोलन करने की प्रेरणा देता है। यह विद्रोह पुरे देश में दिखाई पडते है। जैसे सन्यासी विद्रोह बिहार में, संथाल विद्रोह असम में, तेलंगाना आंदोलन, रंगपूर आंदोलन, नील आंदोलन और पाबना विद्रोह।

महाराष्ट्र भी खेती व्यवस्था के साथ बडे पैमाने पे जुडा है। लेकीन यहाँ भी खेती की कई व्यवस्थाये नजर आती है। जैसी की बम्बई प्रेसिडेन्सी में भूधारण करने की लघु व्यवस्था थी जो विशेष तोर पे कोंकण के ईलाखे में दिखाई देती है। खोती व्यवस्था स्वयं में एक स्वतंत्र्य व्यवस्था है, जो रत्नागिरी, कोलाबा और थाना जिले के कुछ भागों में प्रचलित थी। रत्नागिरी जिले में यह व्यवस्था का नियंत्रण १८८० के बम्बई अधिनियम द्वारा नियंत्रित होता था। कोलाबा जिले में इसकी शर्ते का नियंत्रण रिवाज और प्रथा व्दारा होता था। तो इस व्यवस्था का नियंत्रण थाना जिले में अनुदान व्दारा होता था। 'रयतकारी व्यवस्था में सरकार भूमी के दखलकारों से भू-राजस्व वसूल करता था। खोत व्यवस्था सरकार भू-राजस्व की वसूली के लिए खोत लोगों की नियुक्ती करती हुयी पायी जाती है। सरकार द्वारा राजस्व प्राप्त करने हेतू खोतों को यह स्वतंत्रता दी जाती थी की, वह अधीनस्थ धारकों के साथ जैसा चाहे व्यवहार करे और खोत लोगों व्दारा इस दुरपयोग का उपयोग इस सीमा तक किया जाता है कि न केवल बल प्रयोग करके अधीनस्थ धारकों से धन और सामान वसूली की जाती है, बल्कि उन्हें गुलोमों की तरह जीवन बिताने के लिए विवश किया जाता है। पिछले कुछ वर्षों से अधिनस्थ धारको ने खोत लोगों के विरूध्द में एक बडा आंदोलन छेड रखा है और वे किसान खोती व्यवस्था के उन्मुलन की मांग कर रहे है। खोत और किसानों के बीच संबंध इतने खराब हो गये की उन्होंने तीन खोत लोगों की हत्या कर दी।'[४]

जागतिक विश्व में समय-समय पर ऐसे महापुरूषों का जनम हुआ है की, जिनकी चेतना, व्यकित्व और विचारधाराओं से समाज को नयी दिशा मिली है। डॉ. भीमराव अम्बेडकर एक प्रबुध्द विचारक, समाजसुधारक, सर्वहारा समाज के लिए नई दिशा प्रदान करने वाले ऐसे महापुरूष हुए है, जिन्होंने सभी पिडीतों को उनके उध्दार के प्रती, सामाजिक और धार्मिक न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका उनकी रही है। इतना ही नही समाज के हर समस्याओं को सुलझाने का प्रयास उन्होने अपने पुरे आयु में किया ऐसा दिखाई पडता है। इसलिए उन्हे आज अंतरराष्ट्रीय स्थितीओं में अव्वल स्थान मिला है। उनकी यही कार्यप्रवणता उन्हे जागतिक स्थिती के और ले गई। 'डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर ने खोती व्यवस्था के उन्मुलन हेतू बम्बई विधानसभा की १७ सितंबर १९३७ की बैठक में प्रस्तुत किया था। खोती व्यवस्था राजस्व प्राप्त करने की जो व्यवस्था है, जिसे खोती व्यवस्था कहाँ गया है। उसका उन्मुलन होना चाहिए और रयतवारी व्यवस्था के सिध्दांतो को लागू करना चाहिए, जहाँ खोती व्यवस्था चालू है।'[५] यह विधेयक का यह उद्देश था की, सरकार और भूमी के धारकों के बीच सीधा संबंध प्रस्थापित करना और खोत लोंगों के क्षतिपूर्ती के लिए उचित मुआवजा देने का प्रावधान करना।

इसी खोती व्यवस्था के बारे में डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकरने २० मे १९३८ को हुये महाड सभा में यह कहाँ था की, 'खोती प्रथा के उन्मुलन का कंकण हाथ में मैने बांधा है। यह कॉंग्रेस सरकार इस बील को सम्मत नही करना चाहती तो मैने मेरे साथीयों के साथ जेल में जाने का निश्चय किया है। मगर आप सभी किसान हमारे पिछे रहना चाहिए। ताकि खोती प्रथा जल्द से जल्द नष्ट हो।'[६]

महाराष्ट्र के कोंकण विभाग में चल रही खोती प्रथा के उन्मुलन के लिए डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और, किसानों को मुक्त किया था। मगर देश में आज तक जो भी सरकारे आई है उन्होंने किसानो की पूरी तरह तबाह कर दिया है। और यही वजह है की, आज का किसान अपने खेती से अनाज उपजाने के लिए परेशान है। और इस वजह से वो आत्महत्या की और बडे पैमाने झूक चूका है। किसानों की हालत में सुधार लाने के लिए सरकारों को प्रयास करना जरूरी है।

Impact Factor : 0.4521 (UIF)
ISSN:- 2393-8900

संदर्भ -

१) डॉ. श्याम सिंह (संपा.) - डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाड़मय, डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान, कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नयी दिल्ली, खंड ३, पृष्ठ १४८
२) शंभुनाथ (संपा.) - सामाजिक क्रांती के दस्तावेज, वाणी प्रकाशन, दरियागंज, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण २००४, पृष्ठ ९०५
३) सिंह वी. एन. - भारत में सामाजिक आंदोलन, रावत पब्लिकेशन, जयपूर, प्रथम संस्करण २००५, पृष्ठ ८७
४) डॉ. श्याम सिंह (संपा.) - डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाड़मय, डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान, कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नयी दिल्ली, खंड ३, पृष्ठ ११६
५) - पूर्वोक्त पृष्ठ ११८ -
६) संपादक मंडळ - डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची भाषणे, खंड १८, भाग २, प्रकाशन समिती, महाराष्ट्र शासन, मुंबई, २००२, पृष्ठ १६१